भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1182

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय बालिका दिवस

1182. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डॉ. जयंत कुमार रायः
श्रीमती डिम्पल यादव:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय योजना भी लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार एकल बालिका आदि के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्य- वार लाभार्थियों की संख्या, विशेषताएं, राशि कितनी है;
(ङ) क्या इन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति की राशि और संख्या पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) सम्पूर्ण देश में सरकार द्वारा प्रति वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है,जिसमें बालिकाओं के महत्व को दर्शाने वाली गतिविधियाँ शामिल होती हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस बालिकाओं के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में लाने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता प्रसारण के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अस्तित्व, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक रूप से संवेदनशील बनाना है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न गतिविधियाँ

जैसे सम्मेलनों/वेबिनारों/लिंग संवेदनशील मुद्दों पर वार्तालाप के माध्यम से सामुदायिक संवेदीकरण/जुटाव कार्यक्रम, बीबीबीपी के तहत प्रदर्शन करने वाले जिलों का अभिनंदन, वृक्षारोपण अभियान, दीवार पेंटिंग प्रतियोगिताएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, शिक्षा, खेल, सामाजिक कल्याण आदि क्षेत्रों में जिले के स्थानीय चैंपियनों को स्वीकार करना और उनका जश्न मनाना आयोजित किया जाता है।

(ख) योजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में अंतर्निहित मुद्दों के कारण माध्यमिक शिक्षा योजना के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना को वर्ष 2018-19 से बंद कर दिया गया है।

(ग) से (च) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) का संचालन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा किया जाता है। एनएसपी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए एक उभयनिष्ठ पोर्टल प्रदान करता है, जिन्होंने इस पोर्टल पर अपनी योजनाएं शामिल की हैं। यह प्रसंस्करण में पुनरावृति से बचाता है और छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से छात्रवृत्ति भेजता है। इन विवरणों को https://nsp.gov.in/dashboard/पर उपलब्ध है। एनएसपी के एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केंद्र सरकार की योजनाएं और विगत तीन वर्षों के दौरान एनएसपी के माध्यम से प्रदान की गई छात्रवृत्ति का राज्य-वार विवरण https://www.education.gov.in/parl_ques.पर भी उपलब्ध है।

सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों सहित प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत अनुसूचित जाति/ओबीसी छात्रों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) (ओबीसी और अन्य) के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (2021-22 से 2025-26) और पीएम केयर्स के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति।

सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित सभी श्रेणियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं का विवरण स्लॉट की संख्या, प्रदत्त सहायता और पात्रता मानदंड सहित निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइटलिंक
1.	उच्च शिक्षा विभाग	https://www.education.gov.in/pm-usp-scholarships-education-loan
2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	https://www.ugc.ac.in/page/scholarships-and-fellowships.aspx
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	https://www.aicte-india.org/bureaus/rifd/Scholarship-Schemes
4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	https://socialjustice.gov.in/scheme-cat
5.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	https://tribal.nic.in/ScholarshiP.aspx

जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) पात्र अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आईटीआई जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय की जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के मूल निवासी और तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद स्नातक या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) में, व्यावसायिक कौशल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने सत्र 2023-24 से राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस)/शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए ट्यूशन और परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है।

*****